

ई-मेल से प्रेषित

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

पुराना नर्सिंग हॉस्टल भवन, दाऊ कल्याण सिंह भवन परिसर, छत्तीसगढ़, रायपुर

दूरभाष क्रमांक 0771-2972977 e-mail- cgdme.counseling@gmail.com

क्रमांक/14917

/संचिधि/नर्सिंग/2018

रायपुर, दिनांक 31-12-18

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय:-सत्र 2018 में बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जानकारी प्रेषित करने बाबत।


उपरोक्त विषयान्तर्गत सत्र 2018 बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्याथियों की सूची दिनांक 01 जनवरी, 2019 को ई-मेल cgdme.counseling@gmail.com में अनिवार्य रूप से प्रेषित करें तथा दिनांक 02 जनवरी, 2019 को प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची (हार्ड कॉपी में) आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संचालनालय में कार्यालयीन समय में अनिवार्य रूप से जमा किया जाना सुनिश्चित करें। संस्थायें ध्यान दे ई-मेल से प्रेषित सूची व हार्डकॉपी में प्रेषित जानकारी समान हो सूची में भिन्नता पाये जाने पर होने वाली जटिलताओं के लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाईन प्रवेशित अभ्यर्थियों का Allotment Letter, Scrutiny Receipt व Admission Receipt कि सत्यापित छायाप्रति तथा ऑफलाईन प्रवेशित अभ्यर्थियों के आबंटन पत्र की सत्यापित छायाप्रति, सूची के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

संस्थायें विशेष रूप से ध्यान देवें की निर्धारित प्रपत्र में चाही गई जानकारी सही भरे, गलत/भ्रामक/त्रुटिपूर्ण जानकारी देवें पर, सत्यापन नहीं हो सकेगी, जिसके लिये संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी तथा संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त तिथि पश्चात् कोई भी सूची स्वीकार नहीं की जायेगी।

संलग्न:- प्रपत्र,



संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़

प्रवेश सत्र 2018-19

संस्था का नाम

पाठ्यक्रम का नाम- बी0एस0सी0 नर्सिंग

S.No.	Allotment No.	Candidate Name	Father's Name	Sex	Category	Allotted Category	Allotment Date	Admitted Date

Director
College Name Seal & Signature
Address

Principal
College Name Seal & Signature
Address

नोट -

- उपर दिये गये प्रपत्र में साफ व Capital Letters में भरें।
- प्रपत्र में सही जानकारी भरें व निर्धारित प्रपत्र में परिवर्तन न करें।
- प्रपत्र के साथ आबंटित अभ्यर्थी का आबंटन पत्र, स्कूटनी पत्र व एडमिशन रिसिप्ट अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
- संस्थायें विशेष रूप से ध्यान देवें की निर्धारित प्रपत्र में चाही गई जानकारी सही भरें, गलत/भ्रामक/त्रुटिपूर्ण जानकारी देवें पर, सत्यापन नहीं हो सकेगी, जिसके लिये संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी तथा संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।